

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं०
172/प्रा०पत्र/2019

तारीख दायर
06.12.2019

तारीख फैसल
06.12.2019

कन्हैया लाल आ० श्रीकिशन जाति धाकड़ निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्च तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज०)

.....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री नन्द सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:-

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

1. प्रार्थी के खातेदीरी अधिकार की कृषि भूमि ख०सं० 216 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, ख०सं० 261 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख०सं० 268 रकबा 13 बिस्वा, ख०सं० 1324/161 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख०सं० 1326/684 रकबा 12 बिस्वा कुल किता-5 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सीतापुरा पटवार मण्डल अल्फानगर तहसील तालेडा जिला बुन्दी (राज०) में विस्थित है।
2. यह कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओं से संबंधित विवाद है तथा ऐसी सीमा संबंधित विवादो का विनिचय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 111 एवं 128 में व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सीमाओं के संबंध में किसी विवाद की दशा में भूमि अभिलेख अधिकारी जहाँ तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शो के आधार पर या ऐसे नक्शो उपलब्ध ना तो वहाँ वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा। साथ ही में भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षेप जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है और तब तदनुसार सीमा निश्चित करेगा।
3. यह की प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार साहब तालेडा को सीमाज्ञान बाबत आवेदन किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं है। इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111,128 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सर्वेक्षण (पथरगडी) करवाना चाहते हैं। जिसके लिए अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है।
4. यह कि भूमि की वास्तविक सर्वेक्षण के अभाव में समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसलिए भूमि का उपरोक्त अनुसार सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान के प्रार्थना है। कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार

तालेडा को आदेशित फरमावे कि कृषि भूमि ख०सं० 216 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, ख०सं० 261 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख०सं० 268 रकबा 13 बिस्वा, ख०सं० 1324/161 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख०सं० 1326/684 रकबा 12 बिस्वा कुल किता-5 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा



सीतापुरा पटवार मण्डल अल्फानगर तहसील तालेडा जिला बुन्दी (राज0) का पत्थरगढी से सर्वेक्षण किया जावे तथा सीमा चिन्ह निर्धारित किया जावे।


प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जरिये पेटाकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेटाकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया कि प्रकरण औपचारिक पक्षकार है नियमानुसार जवाब अपेक्षित नहीं है।

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता सं० 20 ग्राम सीतापुरा संवत् 2072-75 की प्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं० 20 ग्राम सीतापुरा संवत् 2072-75 में कन्हैयालाल वल्द श्रीकिशन कौम धाकड़ सा०देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार 500/-रु पत्थर गढी शुल्क: राजकोष में जमा कर प्रार्थी की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित विवादित कृषि भूमि की पत्थर गढी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
तालेडा
बुन्दी